

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(27)नविवि / 11/2020

जयपुर, दिनांक: 23 JUL 2021

आज्ञा

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) में कार्यरत अधिशाषी अभियंता (विद्युत), सहायक अभियंता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियंता(विद्युत) की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में अस्थाई(प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-
अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री भंवर लाल चौधरी		20.12.1969	2016-17	डिग्रीधारी
2.	श्री अभिषेक परिहार		01.10.1982	2017-18	डिग्रीधारी
3.	श्री राकेश गहलोत		28.08.1983	2019-20	डिग्रीधारी

सहायक अभियन्ता (विद्युत)


क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	योग्यता	विशेष विवरण
1.	श्री योगेश चन्द सैनी		20.08.1962	2009-10	डिप्लोमाधारी	
2.	श्री संदीप माथुर		07.04.1964	2009-10	डिप्लोमाधारी	
3.	श्री विजय कुमार	SC	30.06.1989	2019-20	डिग्रीधारी	निलम्बित
4.	श्री सत्येन्द्र सिंह मीणा	ST	01.02.1984	2019-20	डिग्रीधारी	
5.	श्री सिद्धार्थ मीणा	ST	22.05.1989	2019-20	डिग्रीधारी	

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)

क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	योग्यता	विशेष विवरण
1.	श्री तेजमल शर्मा		16.12.1968	22.10.2010	डिप्लोमाधारी	
2.	श्री जितेन्द्र नील		22.08.1989	अविनिर्णित से आमेलित दिनांक 18.09.2019	डिग्रीधारी	

जिन अभियंताओं को उक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए 07 दिवस में अपनी आपत्ति इस विभाग में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त वरिष्ठता क्रम से किसी भी अभियंता को कोई आपत्ति नहीं है तथा यथासमय अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी। उक्त वरिष्ठता सूची नगरीय विकास विभाग की Website:www.udh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,



22.7.2021

(राजपाल सिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित अधिकारियों को विभागीय वेबसाईट में माध्यम से।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव-द्वितीय